छत्तीसगढ़ पाठयपुस्तक निगम, रायपुर

प्लॉट नं. बी/4, एम0आर0 कॉलोनी, छ0ग0 मा0शि0मं0
के पीछे, टैगोरनगर
रायपुर (छ0ग0)– 492 001

निविदा–पत्रक 2010–2011

कागज की रील/बंडल के अनलोडिंग/स्टेकिंग कार्य की निविदा–शर्ते

प्रति,

मेसर्स...

....

....

निविदा विक्रय की अंतिम तिथि व समय	–	दिनॉक 25.08.2009 को 2.00 बजे तक ।
निविदा जमा करने की तिथि व समय	–	दिनॉक 25.08.2009 को 3.00 बजे तक ।
निविदा खोलने की तिथि व समय	–	दिनॉक 25.08.2009 को 4.00 बजे तक ।

प्रभारी प्रबंध संचालक
छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम,
रायपुर

मूल्य – 500/– (पॉच सौ मात्र)

छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर

प्लॉट नं. बी/4, एम0आर0 कॉलोनी, छ0ग0 मा0शि0मं0 के पीछे, टैगोरनगर रायपुर (छ0ग0)– 492 001
फोन + 91 – 771 –4019338, टेलीफैक्स + 91 – 771 – 4019339, 2433327

(निविदाकार द्वारा भरा जावे)

प्रति,

प्रबंध संचालक,

छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम,

रायपुर, छ0ग0 ।

विषय – ट्रकों से कागज की रील/बंडल के अनलोडिंग एवं गोदाम में स्टेकिंग कार्य की दरें प्रस्तुत करने बाबत् ।

संदर्भ – निगम द्वारा कागज की अनलोडिंग के लिए जारी निविदा ।

मैं (फर्म का नाम) .... निगम द्वारा ट्रकों से कागज के रील/बंडल के अनलोडिंग एवं पेपर गोदाम में स्टेकिंग कार्य हेतु जारी निविदा की समस्त शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर समझ लिया है तथा शर्तों को स्वीकार करते हुए ट्रकों से कागज को अनलोडिंग एवं छल्ली लगाने हेतु नीचे दिये गये विवरण तथा उसके समक्ष दरों पर कार्य करने हेतु अपना आफर प्रस्तुत करता हूँ ।

क्रमांक	विवरण	दर प्रति रील/बंडल
1	कागज की रीलों हेतु प्रति रील (प्रति रील अनुमानित वजन 400 से 470 कि.ग्रा.)	रू. (अक्षरों में...................................)
2	कागज के बण्डलों हेतु प्रति बण्डल (कागज की प्रति बंडल अनुमानित वजन 63.300 से 67.200 कि.ग्रा.)	रू. (अक्षरों में...................................)

हस्ताक्षर एवं नाम निविदाकार
(फर्म की सील एवं पता)
दूरभाष संख्या –

निगम के गोंदवारा, रायपुर स्थित गोदाम में ट्रकों के माध्यम से प्राप्त होने वाले कागज की रीलों/रीमों की अनलोडिंग कर गोदाम में थप्पी/छल्ली लगाने हेतु निविदा की शर्तें निम्नानुसार रहेगी :–

1. कागज के अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य करने हेतु निविदाकर्ता फर्म का शासकीय संस्थान में पंजीयन होना अनिवार्य है तथा पंजीयन प्रमाण–पत्र निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा ।
2. इस निगम के केंद्रीय पेपर भंडार, गोंदवारा को विभिन्न पेपर मिलों से ट्रकों द्वारा प्राप्त होने वाले कागज की रीलों/बण्डलों को ट्रक से सुरक्षित उतारकर (बण्डलों की थप्पी 20 की तथा रीलों की थप्पी 3-5 (तीन से पॉच) की उचाई तक) गोदाम में छल्ली (स्टेकिंग) लगानी होगी ।
3. ट्रकों की अनलोडिंग सामान्यतः प्रतिदिन (आवश्यकता पड़ने पर अवकाश दिवसों में भी करना होगा) प्रातः 10.00 बजे से सायं 7 बजे तक हो सकेगी ।
4. पेपर मिल से ट्रक आने पर निविदाकार को दूरभाष पर सूचित किया जावेगा । सूचना मिलने पर दो घंटे में ट्रक खाली करना प्रारम्भ करना होगा । यदि उक्त अवधि में ट्रक खाली करना प्रारम्भ नहीं किया गया तो निगम द्वारा अन्य बाहरी मजदूरों से ट्रक खाली करा लिया जावेगा तथा उस पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की राशि निविदाकार से वसूल की जावेगी ।
5. दर प्रति बण्डल एवं प्रति रील पृथक–पृथक दें । अन्य किसी व्यय के लिए निगम जिम्मेदार नहीं होगा ।
6. पेपर के रील/बंडल की अनलोडिंग/स्टेकिंग कार्य की दरें अनुबंध दिनॉक से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी । आवश्यकता पड़ने पर प्रबंध संचालक द्वारा यह अवधि बढ़ाई अथवा घटाई जा सकेगी ।
7. निविदा की दरें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, छ0ग0 पा0पु0नि0, रायपुर को रहेगा ।
8. निविदा के साथ रू. 10,000.00 (रूपये दस हजार मात्र) अर्नेस्ट मनी (जमानत राशि) नगद/बैंक ड्राफ्ट (जो कि प्रबंध संचालक, छ0ग0 पा0पु0नि0, रायपुर के नाम देय हो) द्वारा जमा करना अनिवार्य है । सफल निविदाकार की अर्नेस्ट मनी प्रतिभूति के रूप में जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । जिन निविदाकारों की निविदा स्वीकृत नहीं होती है उनकी अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जावेगी ।
9. किसी भी प्रकार के मतभेद होने की दशा में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
10. कागज की अनलोडिंग के समय ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा गोदाम (भवन) को पहुंचाई गई क्षति (टूट–फूट) को तीन दिन में ठीक कराना होगा अन्यथा डिपो प्रबंधक द्वारा गोदाम की मरम्मत अपने स्तर पर करा ली जायेगी । ऐसी दशा में मरम्मत पर व्यय की गई राशि की वसूली ठेकेदार के आगामी देयक से की जावेगी ।
11. ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा ट्रक खाली करते समय तम्बाखू एवं पान की पीक एवं अन्य गंदगी करने की दशा में गोदाम की सफाई कराने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा ।
12. कागज की अनलोडिंग के समय ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा यदि कागज को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षतिग्रस्त कागज की वास्तविक कीमत ठेकेदार के देयक अथवा जमानत राशि में से काट ली जावेगी ।

13. कागज की अनलोडिंग/छल्ली लगाते समय यदि किसी श्रमिक को चोट लग जाती है, किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है, अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी समस्त क्षतिपूर्ति मुआवजे की जिम्मेदार निविदाकार की होगी, निगम की कोई जवाबदारी नहीं होगी ।

14. निविदा शर्तों के विपरीत कार्य किये जाने पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा तथा ऐसी दशा में जमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी ।

15. निगम द्वारा कागज के रीलों/बंडलों को अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य करने हेतु फोर्क लिफ्ट मशीन क्रय किया जा रहा है । यदि कार्य आदेश/अनुबंध अवधि के दौरान यह मशीन क्रय कर ली जाती है तो प्रबंध संचालक महोदय को कार्यादेश एवं अनुबंध निरस्त करने या उसमें संशोधन करने के संबंध में समस्त अधिकार होंगे । उनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

प्रभारी प्रबंध संचालक
छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम,
रायपुर